

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
-:आदेश:-

सं०सं-2/वि01-03/2024...../शीतलहर एवं ठंड के बढ़ते प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में संचालित सभी कोटि के सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त / गैर सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं सभी निजी विद्यालयों में दिनांक-07.01.2025 से दिनांक-13.01.2025 तक के लिए वर्ग-KG से वर्ग-08 तक की कक्षाएँ बंद रहेंगी।

2. वर्ग-9 से वर्ग-12 तक की कक्षाएँ एवं सभी प्रकार के आवासीय विद्यालय पूर्ववत संचालित रहेंगे।
3. उपरोक्त अवधि में सभी कोटि के सरकारी विद्यालयों के प्राथमिक एवं उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों (माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों सहित) को निदेशित किया जाता है कि वे नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित होकर U-DISE+ 2024-25, बच्चों के APAAR Id Generation एवं Household Survey आदि से संबंधित कार्यों का निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।
4. उक्त पर विभागीय सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(नन्दकिशोर लाल)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-2/वि01-03/2024-16

राँची, दिनांक-04.01.2025

प्रतिलिपि:-विभागीय सचिव के आप्त सचिव / निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा, झारखंड /राज्य परियोजना निदेशक, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची/निदेशक, झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, राँची/निदेशक, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, राँची/सभी उपायुक्त, झारखंड/सचिव, झारखंड अधिविध परिषद्, राँची/सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा अधीक्षक, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

|
HCL
4/1/2025
सरकार के संयुक्त सचिव।